

अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील/रेफरेंस/विधि प्रार्थना पत्र संख्या 481/26 (CIS NO. 481/26)
नरेश कुमार सैन बनाम जविप्रा

परीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तामील में
जारी हुए

अपील सं०- 481/2026

नरेश कुमार सैन बनाम जविप्रा

दिनांक 04.06.2026

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एस. सोलंकी उपस्थित। जविप्रा की ओर से अधिवक्ता श्री प्रहलाद रावत उपस्थित। जविप्रा की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। नकल दिलाई गई।

2. बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
3. जविप्रा द्वारा दिनांक 25.05.2026 को अपीलार्थी को जविप्रा अधिनियम, 1982 की धारा 32 का नोटिस दिया जाकर यह आक्षेपित किया कि अपीलार्थी द्वारा जेडीए की बिना स्वीकृति/अनुमति के प्लॉट नं० 3 मारुती नगर विस्तार सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल करीब 128 गज पर जेडीए से जारी साईट प्लान में दर्शित सेटबैक में निर्माण कर पूर्व से पुराना निर्मित ग्राउण्ड फ्लोर है। निर्माण पुराना है जिस पर साईज 40 बाई 30 फीट क्षेत्रफल पर नयी छत डालकर नया निर्माण किया गया है। ग्राउण्ड फ्लोर के पीछे के भाग में रहवास किया जा रहा है। वर्तमान में निर्माण कार्य जारी नहीं है जो कि जेडीए बायलॉज का उल्लंघन होने के कारण अवैध है। उक्त नोटिस जारी कर अपीलार्थी से यह अपेक्षित किया गया कि वह अपने अतिक्रमण को हटा लेवे और यदि कुछ आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति दिनांक 01.06.2026 तक पेश करे ताकि आपत्ति पर समुचित निर्णय किया जा सके।
4. उक्त नोटिस से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई तथा जविप्रा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है। अपीलाधीन नोटिस के माध्यम से अपीलार्थी को जविप्रा द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अपीलार्थी उक्त नोटिस के प्रतिउत्तर में अपना जवाब व सुसंगत दस्तावेजों के माध्यम से अपने निर्माण की वैधानिकता को प्रमाणित व साबित कर सकता है। इस प्रक्रम पर जब प्राधिकरण द्वारा विधिक प्रक्रिया आरंभ करते हुये अपीलार्थी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान किया गया है तो इस अधिकरण का हस्तक्षेप गुण-दोषों पर कोई अभिमत दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।
5. अतः यह अपील निम्न निर्देशों के साथ निस्तारित की जाती है:-

1. अपीलार्थी आदेश दिनांक से 15 दिन के भीतर नोटिस धारा 32 जविप्रा अधिनियम के नोटिस के सम्बन्ध में अपनी आपत्तियां/जवाब व सुसंगत दस्तावेज प्रत्यर्थी के संबंधित जोन उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील/रेफरेंस/विधि प्रार्थना पत्र संख्या..... (CIS NO.)

नरेश कुमार शर्मा बनाम जविप्रा

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तामील में
जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज

हुक्म

2. अपीलार्थी द्वारा इस विहित समयावधि में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह उपधारित किया जा सकेगा कि वह इस नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखना नहीं चाहता हैं।
3. अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी द्वारा विस्तृत कारण अंकित करते हुए अपना निर्णय अविलंब पारित करें तथा उक्त निर्णय से अपीलार्थी को अवगत करावें।
4. इस विधिक प्रक्रिया/कार्यवाही के लम्बित रहने तक अपीलार्थी किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करेगा, साथ ही कार्यवाही पूर्ण होने तक, प्रत्यर्थी द्वारा भी विवादित निर्माण कार्य को किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त, ध्वस्त अथवा सील नहीं किया जावेगा।
5. यदि जविप्रा द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध कोई आदेश/विधिक नोटिस दिया जाता है तो निर्माण हटाने हेतु उसे न्यूनतम सात दिन का अवसर प्रदान किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक **04.06.2026** को खुले न्यायाधिकरण में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया। इस निर्णय की प्रमाणित प्रति सचिव जविप्रा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।